

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- [dfo.champawat@rediffmail.com](mailto:dfo.champawat@rediffmail.com)

पत्रांक २०५२ / १२-१ दिनांक, चम्पावत १८-१-२०२४

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय –

धूनाघाट–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि०मी० ०७.०० से क्वीड़ागांव (दुबड़) मोटर मार्ग लम्बाई ६.५० कि०मी० के निर्माण हेतु २.६० है० वन भूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं०-**FP/UK/ROAD/19093/2016**)

सन्दर्भ-

भारत सरकार की पत्र संख्या ८३ी/य०सी०पी०/०६/२३५/२०१६/एफ.सी./१३३६ दिनांक ०६.०१.२०२३ व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी की पत्र संख्या १६६८/ **FP/UK/ROAD/19093/2016** दिनांक १२.०१.२०२३।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार द्वारा निम्नांकित बिन्दु पर त्रुटियों का अवलोकन कर अभिलेख/दस्तावेज प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके कभी में अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है—

| क०सं० | आपत्ति  | निस्तारण  |
|-------|---|---|
| १.    | In the perusal of the KML file, it has been seen that the existing path along the proposed alignment was constructed after year 2018-19 while the case was under consideration of approval. This can be considered as a violation of FCA, 1980. | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि खण्ड में स्वीकृत धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि०मी० ०७.०० से क्वीड़ागांव (दुबड़) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु २.६० है० वन भूमि प्रस्ताव गठित कर दिनांक २५.०४.२०१६ को ऑनलाइन किया गया था। जिसमें समय-समय पर उच्च स्तर पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाता रहा है। वर्तमान में संदर्भित पत्र के माध्यम से क०एम०एल० फाईल में existing path होना अवगत कराया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, तथा FCA 1980 की शर्तों का विभाग द्वारा कियी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की गयी है। |
| २.    | Further, the target villages can be easily connected from the end point of the proposed alignment rather being the proposed starting point.   | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश में प्रस्तावित धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि०मी० ०७.०० से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक स्वीकृत किया गया है जो कि अन्तिम बिन्दु टाकखन्दक–करौली मोटर मार्ग में है। प्रस्तावित समरेखण के अन्तिम बिन्दु से ग्रामों को संयोजित करने पर संयोजित ग्रामों से जिला मुख्यालय लगभग १०-१२ कि०मी० की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सुगमता एवं स्वीकृत शासनादेशानुसार प्रारम्भिक बिन्दु धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि०मी० ०७.०० से ही उपयुक्त है।   |
| ३.    | DFO will submit the action taken report on violation as seen in the KML and also submit the comment on the possibility of connecting target villages from the end point of the proposed alignment.  | उल्लिखित रिपोर्ट पृथक से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।  |

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक २०५२ / १२-१ तददिनांकित।

प्रतिलिपि -

- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिलाधिकारी, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, ल०नि०वि०, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त पत्र एत्र स्वयं अथवा विशेष पत्रवाहक के माध्यम से पहुंचाने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

८८



पत्रांक :- 260/2 क्षृ

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन प्रभाग चम्पावत।

विषय:-  
मार्ग के

जनपद चम्पावत के धूनाघाट-भिगराड़ा-रीठासाहिब मोटर मार्ग के कि०मी० 7.0 से क्वीडागाँव (दुबड़) तक मोटर  
सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/19093/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक पत्रांक 8 बी / यू०सी०पी०/०६/२३५/२०१६/एफ०सी०/१३३६ दिनांक 6.01.2023

~~प्र०प्ति~~ महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई आख्या का उत्तरालेख निम्नवत प्रारूप में भर कर अग्रिम आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:-

In the Perusal of the KML file it is seen that the existing path along the proposed alignment was constructed after year 2018-19 while the case was under consideration of approval ,This can be considered as a violation of FCA 1980 further , the target villages can be easily connected from the end Point of the proposed alignment rather being the proposed starting Point. Hence the concerned DFO will ssubmit the action taken report on violation as seen in the KML and also submit the comment on the possibility of connecting target villages from the end point of the proposed alignment.

खण्ड में स्थीकृत धूनाघाट-भिगराड़ा-रीठासाहिब मोटर मार्ग के कि०मी०-7 से क्वीडागाँव (दुबड़)मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.60 हेठू 2.60 हेठू वन भूमि प्रस्ताव गठित कर दि० 25-4-2016 को ऑनलाईन किया गया था। जिसमें समय-समय पर उच्च रत्तर रो प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाता रहा है, यर्तमान गें संदर्भित पत्र के माध्यम से KMLफाईल में Existing Path होना अवगत कराया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है, तथा FCA 1980 की शर्तों का विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। शासनादेश में प्रस्तावित मार्ग धूनाघाट-भिगराड़ा-रीठासाहिब मोटर मार्ग के कि०मी० 7.00 से क्वीडागाँव (दुबड़) तक स्थीकृत किया गया है तदनुसार ही वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है जो कि अन्तिम विन्दु टाकखन्दक-करौली मोटर मार्ग में है। प्रस्तावित समरेखण के अन्तिम विन्दु से ग्रामों को संयोजित करने पर संयोजित ग्रामों से जिला मुख्यालय लगभग 10-12कि०मी० की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी, लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सुगमता एवं स्थीकृत शासनादेशानुसार प्रारम्भिक विन्दु धूनाघाट-भिगराड़ा- रीठासाहिब मोटर मार्ग के कि०मी०-7 से ही उपयुक्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्च रत्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

सहायक अभियंता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत

अधिशासी अभियंता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत

## Action-taken report

विषयक प्रकरण पर सी0एम0 हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत CMHL-092023-10-441056 दिनांक 11.09.2023 पर अंकित आदेश दिनांक 16.09.2023 (मय संलग्नक सहित) दिनांक 25.11.2023 के कम में वन क्षेत्राधिकारी, भिंगराड़ा रेज द्वारा उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्र का वन बीट अधिकारी धूनाघाट, अनुभाग अधिकारी सकदेना, ग्राम प्रधान निलौटी, सरपंच निलौटी तथा ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया गया। जहाँ के0एम0एल0 में उक्त मार्ग का पूर्व में ही निर्मित किया जाना दर्शित हो रहा है। तदपश्चात् राजस्व विभाग, वन विभाग के कार्मिकों व जनप्रतिनिधियों के साथ उक्त क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण व समस्त पक्षों के बयानों व अभिकथनों के प्राप्त होने के पश्चात् यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि –

उक्त प्रभावित क्षेत्र में सिविल भूमि 0.540 हे0 भूमि 9(3)ड श्रेणी की है (कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 का पत्रांक 2277/2सी दिनांक 02.09.2024 के पत्र द्वारा प्राप्त उपजिलाधिकारी पाटी का पत्रांक 168/र0का0–सं0नि0/2024–25 दिनांक 15.07.2024 के अनुसार) व शेष 0.260 हे0 क्षेत्र वन पंचायत निलौटी के अन्तर्गत आता है। कार्यदायी संस्था विकासखण्ड पाटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत निलौटी के कसगाड़ी पुल से दुबड़ सुरका तक मोटर मार्ग का निर्माण (अवशेष कार्य) विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में ग्रामवासियों के की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व गांव के उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने हेतु कराया गया। जिसमें कि उक्त मार्ग में केवल अश्वमार्ग का निर्माण किया गया जिसे के0एम0एल0 के माध्यम से दर्शाया गया है (पीला सरेखण काटा गया अश्वमार्ग, लाल सरेखण प्रस्तावित मोटर मार्ग व हरा सरेखण वैकल्पिक मार्ग को दर्शा रहा है)। जांच करने पर प्रश्नगत मार्ग का प्रस्तावित सरेखण से भिन्न दिखायी देना पाया गया है।

प्रकरण पर श्रीमती रेखा देवी, सरपंच, वन पंचायत, निलौटी द्वारा दिये गये लिखित बयान के अनुसार ठेकेदार की प्रधान लेबर घनश्याम भट्ट पुत्र देवीदत्त ग्राम निलौटी द्वारा बिना अनुमति वन पंचायत निलौटी के 0.260 हे0 क्षेत्र पर अश्वमार्ग निर्माण का कार्य किया गया है। जिसके कम में वन पंचायत पर हुए अपराध के सापेक्ष वन पंचायत प्रबन्धन समिति द्वारा वन पंचायत नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2012 के उपनियम (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त घनश्याम भट्ट से रु0 20000 का अर्थदण्ड/जुर्माना वसूल कर लिया गया है (रसीद संलग्न है)। शेष मार्ग में प्रभावित सिविल भूमि अभिलेखों में वन भूमि का न होना पाया गया है व नाप भूमि का क्षेत्र ग्रामवासियों का होने के तथ्य पर उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त मार्ग उनकी स्वीकृति द्वारा निर्मित कराया गया है। जिस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार जांच में धूनाघाट–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दूबड़) तक पूर्व में निर्मित मार्ग एक अश्वमार्ग है जिसका निर्माण ग्रामवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्तिम बिन्दु से अन्य ग्रामों को जोड़ने के विषय में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश में प्रस्तावित मार्ग धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दूबड़) तक स्वीकृत किया गया है जो कि टाकखन्दक–करौली मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु में है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखण के अन्तिम बिन्दु से ग्रामों को संयोजित करने पर संयोजित ग्रामों से जिला मुख्यालय लगभग 10–12 कि0मी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। अतः लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सुगमता एवं स्वीकृत शासनादेशानुसार प्रारम्भिक बिन्दु धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से ही उपयुक्त है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

कार्यालय उप जिलाधिकारी पाटी  
संख्या १६४ / २० का०-सं० नि० / २०२४-२५ दिनांक १५/७/२०२४

सेवा में

जिलाधिकारी  
चम्पावत् ।

विषय:- धूनाघाट - रीठासाहिब मोटर मार्ग के किमी ० ७ से क्वीडागांव-दुबड मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

### महोदय

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं० ५७३८ / सार्व० सहा० - विविध / २०२३ दिनांक १० जुलाई २०२३ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा धूनाघाट-रीठासाहिब मोटरमार्ग के किमी ० ७ से क्वीडागांव-दुबड मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के कम में धूनाघाट-रीठासाहिब मोटरमार्ग के किमी ० ७ से क्वीडागांव-दुबड मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग चम्पावत् द्वारा प्रस्तावित सुलभ संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग की पूर्ण लम्बाई ६.५०० किमी ० है, जिसमें प्रभावित होने वाली कुल भूमि में से ०.२६० हेक्टेएर ९(३) के ५०० किमी ० है, जिसमें प्रभावित होने वाली नाप भूमि है, तथा १.००० वन पंचायत की है, ०.५४० हेक्टेएर भूमि श्रेणी ९(३)ड. बंजर काबिल आबाद की है, तथा अश्व मार्ग भू-अभिलेखों में दर्ज नहीं है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली नाप भूमि के संबन्ध में स्थानीय ग्रामवासियान एवं हकदारान की कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में कोई इमारती वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। सुलभ सन्दर्भ हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

भवदीय  
*८८'*  
उप जिलाधिकारी  
पाटी ।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग चम्पावत् को सूचनार्थ प्रेषित ।

उप जिलाधिकारी  
पाटी ।